

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

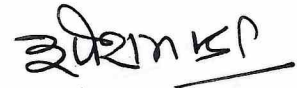
क्रमांक : एफ.4(ई)एस-3282/2013/अलेसे-III/ 2349

दिनांक :- 29.12.2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 75/2017-18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा श्रीमति सीमा वर्मा खटीक (लिंग नं. 11439) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्रीमति सीमा वर्मा खटीक द्वारा दिनांक 04.07.2017 को कार्यग्रहण किया गया।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा ने पत्र क्रमांक 2684 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित श्रीमति सीमा वर्मा खटीक, क0 लेखाकार के प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत करवाया है कि श्रीमति सीमा वर्मा खटीक के राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2018 में राजस्थान लेखा सेवा हेतु चयन हो जाने पर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प.1 (9) वित्त/राजस्व/2015-16/2016-17/2021 दिनांक 24.12.2021 द्वारा एच.सी.एम. रीपा में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। श्रीमति सीमा वर्मा खटीक द्वारा नवचयन पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान धारित क0 लेखाकार के पद से कार्यमुक्त करने का निवेदन किया है। अतः श्रीमति सीमा वर्मा खटीक, क0 लेखाकार के आवेदन के आधार पर उनको नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान धारित क0 लेखाकार के पद से कार्यमुक्त करने की एतद् द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। वे अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त हो सकेंगी। श्रीमति सीमा वर्मा खटीक का वर्तमान धारित क0 लेखाकार के पद पर नियमानुसार लियन रहेगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-3282/2013/अलेसे-III/ 2349

दिनांक :- 29.12.2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
3. श्रीमति सीमा वर्मा खटीक, क0 लेखाकार कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा।
4. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीट / निजी / रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)